सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Acc Name-BOSE CHANDRA
Acc Code- UP14133804
L.N.- 73
Add. Tahsil Compaund K.L.D., S.K.N
Sing.........

₹1,540

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP33331595439735U
Certificate Issued Date	:	04-Jul-2022 12:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14133804/ SANT KABIR NAGAR/ UP-SKB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14133804585779291 15843U
Purchased by	:	P R MISHRA SHIKSHA AND SEVA SANSTHAN BY M R MISHRA
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUZA KAJIPUR TAPPA KASBA PARGANA MAGHAR PURAB TEH KHALILABAD DIST SANT KABIR NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	S K VIDYAPEETH D C S K N BY MANAGER RAKESH MISHRA
Second Party	:	P R MISHRA SHIKSHA AND SEVA SANSTHAN BY M R MISHRA
Stamp Duty Paid By	:	P R MISHRA SHIKSHA AND SEVA SANSTHAN BY M R MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,540 (One Thousand Five Hundred And Forty only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

PU 0000818134

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

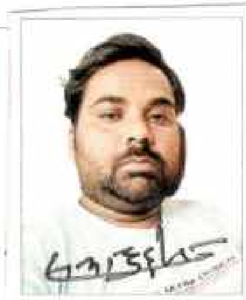

पट्टा–पत्र (लीज)

स्टाम्प शुल्क–1,540रू0

हम कि संत कबीर विद्यापीठ महा विद्यालय सन्त कबीर नगर द्वारा प्रबन्धक राकेश मिश्र पुत्र चन्द्रभान मिश्र साकिन पटखौली तप्पा ऊन परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर के निवासी है तथा प्रथम पक्षकार है ।

आधार सं0–6905–5645–9385 पैन सं0–BGTPM2317L

मो 0 नं0– 9415038667

एवं

प0 राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा, संस्थान ग्राम व पोस्ट पटखौली जनपद संत कबीर नगर द्वारा प्रबन्धक राकेश मिश्र पुत्र चन्द्रभान मिश्र साकिन पटखौली तप्पा ऊन परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर के निवासी है तथा द्वितीय पक्षकार एवं पट्टाग्रहीता है ।

आधार सं0–6905–5645–9385 पैन सं0–BGTPM2317L

मो 0 नं0– 9415038667

यह कि हम प्रथम पक्षकार का अपना 3200वर्गमीटर आवासीय भूमि जो जिसमें भूतल में बारह कमरा व चार हाल निर्मित है तथा शेष खाली भूमि है जिसके चारो तरफ से बाऊन्ड्रीवाल है। जो खेल – कूद के प्रयोग में आता है को मु0 1000/एक हजार रूपया प्रतिमाह अर्थात 12000/बारह हजार रूपया वार्षिक किराया पर 30 वर्ष के लिए द्वितीय पक्षकार के प0 राकेश मिश्र शिक्षा एवं सेवा, संस्थान ग्राम व पोस्ट पटखौली जनपद संत कबीर नगर द्वारा प्रबन्धक राकेश मिश्र पुत्र चन्द्रभान मिश्र साकिन पटखौली तप्पा ऊन परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर को अन्य शिक्षण कोर्स के संचालन हेतु देना स्वीकार है और हम द्वितीय पक्षकार को उपरोक्त अन्य शिक्षण कोर्स के संचालन हेतु प्रथम पक्षकार का उपरोक्त अनुसार निर्माण एवं खाली भूमि को मु0 1000/एक हजार रूपया प्रतिमाह अर्थात 12000/बारह हजार रूपया प्रतिवर्ष किराये पर 30वर्ष के लिए प्राप्त करके निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों से हम उभय पक्षकार अपने एवं अपने उत्तराधिकारियों को आबद्ध करते है।

<u>शर्त एवं प्रतिबन्ध किरायदारी निम्नलिखित है।</u>

1– यह कि हम द्वितीय पक्षकार एक हजार रूपया प्रतिमाह प्रथम पक्षकार को बतौर किराया हर हालत में अदा करेगें और उसकी रसीद प्राप्त करते रहेगें।

2– यह कि हम द्वितीय पक्षकार किराये पर प्राप्त उपरोक्त निर्माण जो भूतल तल पर स्थित है में उपरोक्त अन्य शिक्षण कोर्स के संचालन हेतु अतिरिक्त निवास आदि नही बनायेगें और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त ही कार्य करेगें और इसमें रखे गए समानों की हर प्रकार की जिम्मेदारी हम द्वितीय पक्षकार की होगी इससे प्रथम पक्षकार का किसी किस्म का कोई वास्ता सरोकार नही होगा

3– यह कि हम द्वितीय पक्षकार किराये पर प्राप्त उपरोक्त निर्माण एवं खाली भूमि में किसी प्रकार का तोड़–फोड़ या परिवर्तन या निर्माण विला प्रथम पक्षकार के लिखित अनुमति के नही करेगें और कमरे की साफ–सफाई का समस्त व्ययभार हम द्वितीय पक्षकार स्वयं बहन करेगें।

4– यह कि हम द्वितीय पक्षकार किराये पर प्राप्त उपरोक्त निर्माण में विद्युत कनेक्शन लगाकर उपयोग करेगें और उसका जो भी देय होगा को उपरोक्त किराया के अतिरिक्त समबन्धित विभाग को अदा करके उसकी प्राप्तिका प्रथम पक्षकार को देते रहेंगें।

5– यह कि हम उभय पक्षकार ने किसी प्रकार का अग्रिम धनराशि (प्रतिभूत) का लेन देन नही किया है सिर्फ उपरोक्त सर्वसम्मति से तय किराया मु0 1000/एक हजार रूपया प्रतिमाह अदा करने का प्रथम पक्ष का प्रस्ताव हम द्वितीय पक्षकार ने स्वीकार किया है जो द्वितीय पक्षकार हम प्रथम पक्षकार को किराया अदा करेंगे।

6– यह कि किराये कि प्राप्त उपरोक्त निर्माण एवं खाली भूमि में सिर्फ तीस वर्ष के लिए हम द्वितीय पक्षकार का आधिपत्य (कब्जा दखल) होगा किसी प्रकार का स्वत्व या स्वामित्व (मालिकाना हक) हम द्वितीय पक्षकार को प्राप्त नही होगा, बल्कि पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य निर्विवाद रूप से प्रथम पक्षकार का पूर्ववत कायम रहेगा।

7– यह कि हम उभय पक्षकार ने इस किरायेदारी की अवधि आपसी रजामंदी से 30वर्ष तय किया है इसके बाद इस किरायेदारी का किसी रूप में कानूनी महत्व नही रह जायेगा, यदि आवश्यक हुआ तो हम उभय पक्षकार आपसी सहमति से यह किरायेदारी (पट्टा–पत्र) निरस्त कराने के हकदार होगे।

8– यह कि हम द्वितीय पक्षकार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधो का किसी भी रूप में उलंघन करे तो प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह हम द्वितीय पक्षकार को तीस दिन अथवा एक माह की नोटिस देकर हम द्वितीय पक्षकार से उपरोक्त निर्माण एवं खाली भूमि को खाली करा लेगें उस सूरत में हम द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार के हर प्रकार के व्यय भार को अदा करने के हकदार होगें और हर सूरत वो हर हालत में अदा करेगें इसके विरूद्ध हम प्रथम पक्षकार का कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में काबिल समायत अदालत नही होगा।

9– यह कि हम उभय पक्षकार इस किरायेदारी की अवधि सर्व सम्मति से एवं उपयोगिता अनुसार 30वर्ष तय किया है जिसकी अवधि दिनांक–04.07.2022 से शुरू होकर दिनांक–03.07.2052 को समाप्त हो जायेगी।

10– यह कि यह किरायेदारी उपरोक्त निर्माण जो भूतल तल पर स्थित है के लिए आधिपत्य एवं स्वामित्व के अलगाव का परिणाम है। जिसके द्वारा द्वितीय पक्षकार को किसी प्रकार को कोई स्वामित्व नही दिया गया है यदि किरायेदारी की अवधि बढ़ती है तो दोनो पक्षकारों के सहमति से नया किरायेदारी रजिस्टर्ड किया जायेगा।

विदित हो कि 1420वादसं0130/2.7.13न्या0तह0उप0जिला खली0 संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर बनाम सरकार उत्तर प्रदेश प्रा03.7.13 आदेश हुआ कि ग्राम काजीपुर तप्पा कस्बा के गाटा सं0–419/0.320हे0 व 422/0.191हे0 व 424अ/0.056हे0 व 424ब/0.158हे0 को आकृषिक दर्ज कागजात किया जाय।

आवेदन सं०: 202200942005632

पट्टा अनुबंध विलेख

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 4636 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1540 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 720 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 780

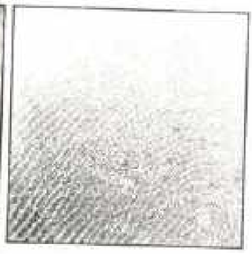

श्री प० राकेश मिश्र एवं सेवा, संस्थान संत कबीर नगर द्वारा
राकेश मिश्र अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री चन्द्रभान मिश्र
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम पटखौली तप्पा ऊन तहसील खलीलाबाद जिला सन्त कबीर नगर।

श्री, प० राकेश मिश्र एवं सेवा, संस्थान संत कबीर नगर द्वारा राकेश मिश्र अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/07/2022 एवं 12:48:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
संत कबीर नगर
04/07/2022

श्रवण कुमार सिंह
निबंधक लिपिक
04/07/2022

प्रिंट करें

स्थित ग्राम काजीपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर गाटा सं0–419/0.320हेक्टेयर मे अपनी सम्पूर्ण भूमि जिसका क्षेत्रफल 3200वर्गमीटर है जो आवासीय भूमि है 3200 वर्गमीटर आवासीय भूमि जो
जिसमें भूतल में बारह कमरा व चार हाल निर्मित है तथा शेष खाली भूमि है जिसके चारो तरफ से बाऊन्ड्रीवाल है जो खेल–कूद के प्रयोग में आता है को मु0 1000/एक रूपया प्रतिमाह अर्थात 12000/बारह हजार रूपया वार्षिक किराया पर 30 वर्ष के लिए द्वितीय पक्षकार को उपरोक्त निर्माण एवं खाली भूमि किराये पर दे रहें है।
जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है।
पूरब – पक्की सड़क।
पश्चिम – जमीन अज्ञात व्यक्ति।
उत्तर – जमीन गाँधी आश्रम।
दक्षिण – जमीन रेलवे।
इसलिए हम उभय पक्षकार ने उपरोक्त शर्तो एवं प्रतिबंधों को सहर्ष स्वीकार कर यह दस्तावेज किरायेदारी उपरोक्त अनुसार समक्ष हासिया गवाहान तहरीर कराकर तथा इसे पढ़ एवं पढ़ाकर वो इसके प्रभाव से भलिभाँति अवगत होकर अपना–अपना हस्ताक्षर एवं निशानी अगुठा समक्ष गवाहाँन बना एवं लगाकर पजीकृत करा दिया कि समय–समय पर साक्ष्य के रूप मे काम आवे तथा प्रमाण रहें

आवेदन सं०: 202200942005632

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 4636 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय सन्त कबीर नगर द्वारा प्रबन्धक राकेश मिश्र, पुत्र श्री चन्द्रभान मिश्र

निवासी: ग्राम पटखौली तप्पा ऊन तहसील खलीलाबाद जिला सन्त कबीर नगर।

व्यवसाय: कृषि

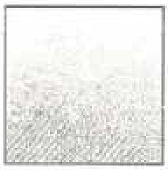

पट्टा गृहीता: 1

श्री प० राकेश मिश्र एवं सेवा, संस्थान संत कबीर नगर के द्वारा राकेश मिश्र, पुत्र श्री चन्द्रभान मिश्र

निवासी: ग्राम पटखौली तप्पा ऊन तहसील खलीलाबाद जिला सन्त कबीर नगर।

व्यवसाय: कृषि

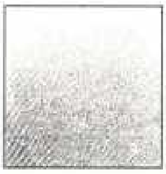

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रदीप कुमार, पुत्र श्री राजा चन्द

निवासी: ग्राम कटकही पोस्ट हरिहरपुर तहसील धनघटा जिला सन्त कबीर नगर।

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री सलाहुद्दीन, पुत्र श्री रफीउल्लाह खान

निवासी: ग्राम खलीलाबाद पठान टोला तहसील खलीलाबाद जिला सन्त कबीर नगर।

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राकेश कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
संत कबीर नगर
04/07/2022

श्रवण कुमार सिंह
निबंधक लिपिक संत कबीर नगर
04/07/2022

प्रिंट करें

7

स्थित ग्राम काजीपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब
तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर
गाटा सं0–419

आवेदन सं०: 202200942005632

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6742 के पृष्ठ 375 से 390 तक क्रमांक 4636 पर दिनाँक 04/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
संत कबीर नगर
04/07/2022

जिसपर नियमानुसार 1,540 / रूपया शुल्क स्टाम्प अदा किया गया है जो नियमानुसार है।

पृथ्वीपालकुमार S/O श्री रामचन्द्र ग्राम कटकही पो० धर्मसिंहपुर
तहसील धनघटा जिला संतकबीर नगर

[illegible]

प्रारुपक–महेश कुमार , अनुज्ञप्ति सं0–62
हस्ताक्षर– प्रपत्र प्रारुप फीस प्राप्त किया
टाईपकर्ता–राजन कुमार मिश्रा अनुज्ञप्ति0सं0–13, हस्ताक्षर–
स्थान व पता–उपनिबन्धक कार्यालय परिषदखलीलाबाद,जनपद–सं0क0न0
दिनांक– 04 / 07 / 2022

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राकेश मिश्रा

Rakesh Mishra

जन्म तिथि/ DOB: 01/02/1968

पुरुष / MALE

6905 5645 9385

आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: लेट चन्द्रभान मिश्रा,
पटखौली, बदगो, संत
कबीरनगर,
उत्तर प्रदेश - 272175

Address:
S/O: Late Chandrabhan Mishra,
patkhauli, Badgo, Sant Kabir Nagar,
Uttar Pradesh - 272175

6905 5645 9385

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

9956673656

प्रदीप कुमार